प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक-30 मार्च, 2020

विषय- निर्माणाधीन जिला कारागार, प्रयागराज के निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-7196/नम-2/140भाग-2/जि0का0 प्रयागराज निर्माण, दिनांक-12.03.2020, पत्र संख्या-7441/नम-2/140भाग-2/2017, दिनांक-16.03.2020, पत्र संख्या-7886/नम-2/140भाग-2/2017, दिनांक-18.03.2020 एवं पुनरीक्षित स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-07/2020/59/22-2020-48(32)/07, दिनांक-07.02.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, निर्माणाधीन जिला कारागार, प्रयागराज के निर्माण कार्य की पुनरीक्षित स्वीकृत लागत रू0 17333.28 लाख + जी0एस0टी0 (रूपया एक अरब तिहत्तर करोड़ तैंतीस लाख अट्ठाइस हजार मात्र+जी0एस0टी0) के सापेक्ष 5 प्रतिशत धनराशि को रोकते हुए अवशेष धनराशि रू0 1256.09 लाख एवं जी0एस0टी0 में जमा की गयी धनराशि रू0 943.50 लाख अर्थात कुल रू0 21,99,59,000/- (रूपया इक्कीस करोड़ निन्यानवे लाख उन्सठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(3) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(4) चालू कार्य के रूप में स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(5) निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा अगस्त, 2020 में पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

3- प्रश्नगत योजना की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक-15.05.2015 एवं पुनरीक्षित स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक-07.02.2020 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-08-कारागारों का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019-बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-**22**/2020/312(1)/22-4-2020-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, प्रयागराज।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in